(पर्चा डिक्री)

(1)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)
पीठासीन अधिकारी श्री विश्वामित्र मीना आ0ए0एस0

मुकदमा संख्या 226/15
दायर दिनांक 21.09.2015

निर्णय दिनांक
12/7/2018

उनवान

1. आजाद पुत्र अमीलाल पुत्र शिचरण जाति गुर्जर निवासी खेड़ी तहसील कोटकासिम जिला–अलवर(राज0)

–वादी

बनाम

1. बनवारी
2. बदलू पुत्रांन प्रहलाद पुत्र बने सिंह
3. रतीराम
4. गांधी पुत्रांन गोपाल
5. रामफल पुत्र रामजिलाल पुत्र गोपाल
6. बेदू
7. बल्लू
8. कृष्ण
9. जले सिंह पुत्रांन श्रीया उर्फ श्रीराम पुत्र रामजीलाल पुत्र गोपाल जाति गुर्जरान निवासीयान अलीपुर तहसील मुण्डावर जिला–अलवर
10. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी अधिकारी (लैण्ड होल्डर) तहसीलदार कोटकासिम तह0 कोटकासिम जिला–अलवर राज0
11. उप पंजियक कोटकासिम तहसील कोटकासिम
12. श्रीराम पुत्र तुला जाति गुर्जर निवासी खेडी तहसील कोटकासिम

–असल प्रतिवादीगण

13. विजय
14. कर्मवीर पुत्रांन अमीलाल पुत्र शिवचरण जाति गुर्जरान निवासी खेड़ी तहसील कोटकासिम

–तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा इश्तकार हक मय दुरूस्ती इन्द्राज व हुकमइतनाई दवामी अन्तर्गत धारा 88, 89 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

उपस्थितः—

1. श्री मनोज कुमार यादव अभिभाषक वादी
2. श्री महेन्द्र यादव अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9
3. श्री सिद्धान्त रतन चतुर्वेदी अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 12

—:आदेशः—

अतः वाद वादी डिक्री किया जाता है कि ग्राम खेड़ी तहसील कोटकासिम आराजी खसरा नम्बर 337/879 रकबा 1.00 हैक्टर मे दर्ज गोपाल, बनेसिंह पिता नानगा समभाग गूजर साकिन अलीपुर का नाम कलमजन किया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती हो। तदनुसार पर्चा डिक्री मुर्तिम हो। बाद तकमील वाद पत्र नम्बर से कम होकर दफतर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 12/07/2018 को टंकित किया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)
पीठासीन अधिकारी श्री विश्वामित्र मीना आ0ए0एस0

मुकदमा संख्या 226/15 निर्णय दिनांक
दायर दिनांक 21.09.2015 12/07/2018

उनवान

1. आजाद पुत्र अमीलाल पुत्र शिचरण जाति गुर्जर निवासी खेड़ी तहसील कोटकासिम जिला–अलवर(राज0)

–वादी

बनाम

1. बनवारी
2. बदलू पुत्रांन प्रहलाद पुत्र बने सिंह
3. रतीराम
4. गांधी पुत्रांन गोपाल
5. रामफल पुत्र रामजिलाल पुत्र गोपाल
6. बेदू
7. बल्लू
8. कृष्ण
9. जले सिंह पुत्रांन श्रीया उर्फ श्रीराम पुत्र रामजीलाल पुत्र गोपाल जाति गुर्जरान निवासीयान अलीपुर तहसील मुण्डावर जिला–अलवर
10. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी अधिकारी (लैण्ड होल्डर) तहसीलदार कोटकासिम तह0 कोटकासिम जिला–अलवर राज0
11. उप पंजियक कोटकासिम तहसील कोटकासिम
12. श्रीराम पुत्र तुला जाति गुर्जर निवासी खेडी तहसील कोटकासिम

–असल प्रतिवादीगण

13. विजय
14. कर्मवीर पुत्रांन अमीलाल पुत्र शिवचरण जाति गुर्जरान निवासी खेड़ी तहसील कोटकासिम

–तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा इश्तकार हक मय दुरूस्ती इन्द्राज व हुकमइ्तनाई दवामी अन्तर्गत
धारा 88, 89 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः–

1. श्री मनोज कुमार यादव अभिभाषक वादी
2. श्री महेन्द्र यादव अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9
3. श्री सिद्धान्त रतन चतुर्वेदी अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 12

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

वादी ने वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम खेड़ी तहसील कोटकासिम आराजी खसरा नम्बर 337/879 रकबा 1.00 हैक्टर मिन वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण व अन्य सह खातेदारो की है जिसमें मिन वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण अपने जमाबन्दी में दर्ज मताबिक हिस्से पर काबिज हो काश्त करते चले आ रहे है। इस भूमि से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 के बुजुर्गानो गोपाल, बनेसिंह पिता नानगा जाति गूर्जर निवासी अलीपुर कभी भी किसी प्रकार का सम्बन्ध व सरोकार नही रहां और ना ही वह कभी भी अपने जीवन काल में काबिज काश्त रहे है परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 के बुजुर्गान गोपाल व बने सिंह ने राजस्व अधिकारीयो व कर्मचारियों से साज बाज होकर अपने नाम का अंकन मुर्तहन के रूप में करा लिया जो खिलाफ मौका व कानूनन कराया। जिसकी पुनरावृति ता हाल राजस्व रिकॉर्ड में चली आ रही है। गोपाल व बने सिंह दोनो फोत हो चुके है जिसके वारिसान प्रतिवादीगण 1 लगायत 9 है। यह भी विवादीत भूमि के किसी जुज पर काबिज काश्त नही रहे है ना अब है। इसलिये मिन वादी विवादीत आराजी के राजस्व रिकॉर्ड से गोपाल बने सिंह पिता नानगा समभाग गुजर साकिन अलीपुर मुर्तहन की इबारत को कलमजन कराने का अधिकारी है। विवादित आराजी में तरतीबी प्रतिवादीगण का हित मिन वादी के हित के समान है, परन्तु आज आवश्यक कार्य होने की वजह से हाजिर अदालत नही होने से तरतीबी प्रतिवादीगण की जद में पक्षकार बनाये गये है। अतः वाद वादी बहक वादी व तरतीबी प्रतिवादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिक्री किया जावे कि हाल आराजी खसरा नम्बर 337/879 रकबा 1.00 हैक्टर वाके ग्राम खेडी तहसील कोटकासिम के राजस्व रिकॉर्ड से गोपाल, बने सिंह पिता नानगा समभाग गुजर सा0 अलीपुर मुर्तहेन की ईबारत को कलमजन किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये हुकमईम्तनाईदवामी से पाबन्द किया जावे कि विवादीत आराजी को कही दीगर जगह रहन बैय इत्यादि से मुन्तकिल ना करे, ना ही वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त में मदालखत पैदा करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगणों की जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलबी की गई। प्रतिवादी संख्या 12 ने इकबालिया जवाब पेश किया तथा अन्य बाद सूचना अनुपस्थित रहने से एक तरफा कार्यवाही के आदेश हुए है। वादी के प्रार्थना पत्र पर अन्तर्गत धारा आदेश 26 नियम 9 व सपठीत धारा 151 जा0दी0 को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार कोटकासिम को कमिशनर नियुक्त किया जाकर विवादीत भूमि की मौका रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार कोटकासिम ने अपनी मौका रिपोर्ट दिनांक 14.03.2016 से बताया की विवादीत आराजी खसरा नम्बर 337/879 नक्शा ट्रेस में तरमीम नही है। इस आराजी में दिशा उत्तर, दक्षिण एवं पश्चिम में सरसो की फसल खड़ी है, बीच में पुक्ता मकान बने हुए है जिसमें मुक्ता मकान बने हुए है जिसमें आजाद पुत्र अमीलाल गुर्जर निवासी खेड़ी का परिवार निवास कर रहा है। मकान के सामने पड़त भूमि है। जिसमें एक कोने में सरकारी हेण्डपम्प ओर एक हेण्डपम्प निजी है शेष में आजाद पुत्र अमीलाल के पशु बान्दे जाते है। प्रसंगत भूमि ग्राम अलीपुर तहसील मुण्डावर की सीमा पर स्थित है।

विद्वान अभिभाषक वादी की एक पक्षिय बहस सुनी गई। अभिभाषक ने अपनी बहस में वाद तथ्यों को दौहराते हुए कहा की विवादीत भूमि में कभी भी प्रतिवादी 1 लगायत 9 के बुजुर्गो का व प्रतिवादीगणों का कबजा काश्त नही रहा इनके बुजुर्ग

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

गोपाल व बने सिंह पुत्र नानगा गुर्जर ने राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों से मिलकर अपने नाम मुर्तहन का अंकन करालिया जो खिलाफ मौका एवं कानूनन गलत है यह दोनो फौत हो चुके है जिससे इन दोनो के वारिसानो को पक्षकार संख्या 1 लगायत 9 बनाये गये है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 43 की ओर ध्यान आकर्षित कर कहा की खातेदार द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 9 के पूर्वज गोपाल व बने सिंह को रहन भी रखी है तो भी पांच साल बाद स्वतः बंधक प्राप्त हो जाता है जबकि उक्त दोनो फौत हो चुके है जिससे भी इन्हो का नाम जो मुर्तहन की हैसियत से दर्ज रिकॉर्ड है कलमजन हो जाना चाहिए। अतः विवादीत भूमि से गोपाल बने सिंह पिता नानगा रामभाग गुर्जर सा० अलीपुर मुर्तहन कलमजन किया जावे ।

हमारे द्वारा पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया। जमाबन्दी सम्वत 2070 से 2073 में वाके ग्राम खेड़ी तहसील कोटकासिम आराजी खसरा नम्बर 337/879 रकबा 1.00 हैक्टर में शिवचरण पुत्र गोपाल 26/79 हिस्सा ने गोपाल बने सिंह पिता नानगा रामभाग गुर्जर सा० अलीपुर मर्तहन दर्ज है। शिवचरण के फौत हो जाने एवं कई वारिसान के फौत हो जाने से उनके वारिसान के नाम दर्ज रिकॉर्ड है । मौका कमिश्नर तहसीलदार की मौका रिपोर्ट अनुसार विवादीत भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 का विवादीत भूमि पर कब्जा काश्त नही है। इन्हो के पूर्वज गोपाल बने सिंह पुत्रांन नानगा पहले से फौत हो चुके है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 43 के अनुसार यदी वादी व तरतीबी प्रतिवादी के पूर्वज शिवचरण ने अपना हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 के पूर्वज गोपाल बने सिंह को रहनभी रखी हो तो भी 5 साल बाद स्वतः मुक्त हो जाती है। इससे मुर्तहन दर्ज व्यक्तियों का नाम कलमजन किया जाना उचित है।

–:आदेश:–

अतः वाद वादी डिक्री किया जाता है कि ग्राम खेड़ी तहसील कोटकासिम आराजी खसरा नम्बर 337/879 रकबा 1.00 हैक्टर मे दर्ज गोपाल, बनेसिंह पिता नानगा रामभाग गूजर साकिन अलीपुर का नाम कलमजन किया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड मे दुरूस्ती हो। तदनुसार पर्चा डिक्री मुर्तिम हो। बाद तकमील वाद पत्र नम्बर से कम होकर दफतर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 12/07/2018 को टंकित किया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम जिला अलवर
उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner